

संलग्नक

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

NGP/GTD/Menaka/PCAS/TN/09/2022 (G)

निबंधन और शर्तें

1. अनुदानग्राही संस्थान प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में इस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान पर अर्जित/प्रोद्भूत ब्याज को विधिवत रूप से दर्शाते हुए अद्यतन प्रगति रिपोर्ट (लक्ष्य बनाम उपलब्धि) के साथ जीएफ़आर 2017 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में वित्तीय वर्ष-वार उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय का लेखापरीक्षित विवरण (एसई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करेगा। यह परियोजना की समाप्ति की निर्धारित तारीख से एक वर्ष भीतर व्यय का अंतिम विवरण, उपयोग प्रमाण-पत्र और परियोजना समाप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्त के भी अध्यक्षीन है।
2. अनुदानग्राही संस्थान को उपयोग प्रमाण-पत्र इस प्रभाग में भौतिक रूप में भेजने के साथ-साथ पीएफ़एमएस पोर्टल पर प्रविष्ट और अपलोड करना होगा। अनुवर्ती/अंतिम किस्त प्रभाग द्वारा यूसी की स्वीकृति की पुष्टि और पीएफ़एमएस में पूर्ववर्ती उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रविष्टि के बाद ही जारी की जाएगी।
3. यदि अनुदान एक ही परियोजना के अंतर्गत उपस्कर (रों) की खरीद के लिए पृथक संस्वीकृति आदेश के माध्यम से पूंजी-शीर्ष के अंतर्गत जारी किया गया है तो जारी किया गया पूंजी-शीर्ष अनुदान के लिए पृथक एसई/यूसी प्रस्तुत करना होगा।
4. जारी किया जा रहा सहायता अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन है-
 - क) उपर्युक्त परियोजना के लिए संस्वीकृत पूंजी आस्तियों की खरीद करते समय अनुदानग्राही संस्थान के उचित नियमों के तहत संस्थान/संगठन द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के उपबंधों के अनुरूप पारदर्शी खरीद प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए और अनुदान प्राप्ति पर तुरंत प्रभाव से अनुदानग्राही संगठन द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 - ख) उपयोग प्रमाण-पत्र/ व्यय विवरण प्रस्तुत करते समय, संगठन को जीएफ़आर 2017 के उपबंधों के अनुसरण में उपस्कर/पूंजी आस्तियों की खरीद के संबंध में संबन्धित दस्तावेज़-साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होता है।
5. जीएफ़आर नियमावली 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार अनुदानग्राही संस्थान को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति से भिन्न) पर प्राप्त समस्त प्रकार के ब्याज या अन्य आय को लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद भारतीय समेकित निधि में अनिवार्य रूप से विप्रेषित किया जाए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी की जाने वाली निधियों में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. जीएफ़आर नियमावली 2017 के नियम 230 (17) के अनुसार, "अनुदानग्राही संस्थान को भारत सरकार के निर्देशानुसार अपने नियंत्रणाधीन पदों या सेवाओं में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लिए आरक्षण रखने पर सहमत होना चाहिए।"
7. अनुदानग्राही संस्थान परियोजना का पृथक परीक्षित लेखा रखेगा और अनुदान की समस्त राशि

बैंक खाते में सब्याज रखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान और उसके बाद जारी अनुदान के लिए, अनुदान के लिए सभी प्रकार के ब्याज या अन्य आय ऐसे लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद भारतीय समेकित निधि में (गैर कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) अर्थात www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से) विप्रेषित की जाएगी, क्योंकि यह राशि भविष्य में जारी की जाने वाली राशि में समायोजित नहीं की जाएगी। अनुवर्ती अनुदान के निर्गम/परियोजना खाते को बंद करने पर विचार किए जाने के लिए, व्यय विवरण/उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. डीएसटी, अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों पर एकमात्र सुरक्षित अधिकार रखता है। सरकारी अनुदानों से पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से अर्जित संपत्ति (जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अप्रचलित और अनुप्रयोज्य, अनुपयोगी घोषित अनुदानों से इतर), का निपटारा डीएसटी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।

9. जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 236 (1) के तहत निर्धारित किया गया है, अनुदानग्राही संगठन का लेखा स्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी और लेखा परीक्षक (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और डीएसटी के प्रधान लेखा कार्यालय दोनों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा) द्वारा निरीक्षण किए जाने, जब भी संगठन को ऐसा करने के लिए कहा जाता है, हेतु अभिगम्य होगा।

10. इस परियोजना अनुदान से प्राप्त तकनीकी सहायता/वित्तीय सहायता की उचित पावती को अनुदानग्राही संगठन द्वारा सभी प्रकाशनों/मिडिया प्रकाशनी में मोटे अक्षरों में और परियोजना के पूरा होने के दौरान और तदुपरांत उनकी वार्षिक रिपोर्टों के शुरुआती पैराग्राफों में अनिवार्य रूप से दिखाया किया जाना चाहिए।

11. बॉन्ड के नियमों और शर्तों का पालन करने में असफल होने पर जीएफआर 2017 के नियम 231 (2) के अनुसार पूरी राशि सब्याज वापस करनी होगी।

12. पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर अन्य कोई भी आगामी निधि जारी नहीं की जाएगी।

13. जीएफआर के नियम 149 के उपबंधों के अनुसार जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं (उपभोज्य वस्तु/उपस्कर) का अनिवार्यतया आर्ने लाइन प्रापण जैम (जीईएम) ही के माध्यम से किया जाना है।

14. अनुदान ग्राही संस्थान को व्यय विभाग के आईडी नोट संख्या: 4/1/2021-पीपीडी दिनांक 10.09.2021 के अनुसार वैश्विक निविदाकरण जांच-पड़ताल (जीटीई) नियमों का पालन करना चाहिए।

15. यदि एकबारगी सहायता या गैर-आवर्ती अनुदान 10.00 लाख रुपये से 50.00 लाख रुपये के सहायता अनुदान का हो तो इसे संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

16. अनुदान ग्राही संस्थान को जीएफआर-2017 के किसी भी अन्य उपबंध और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश/संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

Generated through ePMS



GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Science & Technology
Department of Science & Technology
NGP/GTD/Menaka/PCAS/TN/09/2022 (G)
(National Geospatial Programme)

Technology Bhawan, New Delhi

Dated: 06/06/2023

Sanction Order

Subject: Financial assistance for the project entitled “An Innovative Geospatial framework for Precision Agriculture – Leveraging the Synergy of Satellite and Drone imagery, Artificial Intelligence, Big data and Cloud Computing” submitted by Dr. Menaka Chellasamy, PUSHKARAM COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCES, PUDUKOTTAI, PUDUKKOTTAI, TAMILNADU, 622303 Release of the First installment regarding

Sanction of the President is hereby accorded to the approval to the above mention project at a total cost of **Rs. 34,88,000/- (Rupees Thirty Four Lakh Eighty Eight Thousand only)** for a duration of **2 Years** . The detailed breakup of the grant for General as well as Capital Components are given below:-

General Component : ₹ 18,88,000/-

Capital Component : ₹ 16,00,000/-

Items	Budget Summary (in Rs.)		
	Year-1	Year-2	Total
1- Non-Recurring			
AI based tool development for crop monitoring (including GST @18%)- Management, processing, analysis, and storage of large volumes of data in a big data environment. - 1	900000	0	900000
Web interface/Mobile app (including GST @18%)-Report generation and option to download - 1	400000	300000	700000
Subtotal (Capital)	1300000	300000	1600000
2- Recurring			
Project Staff	744000	744000	1488000
Project Associate-I-2 (Project Associate @ Rs. 31,000/- P.M. and PI mentioned that HRA will be taken care of Institute)	744000	744000	1488000
Consumables	200000	100000	300000
Travel	50000	50000	100000
Overhead	0	0	

Sushma Pandey

6/23/2023, 2:48 PM

Subtotal (General)	994000	894000	1888000
Total Project Cost (Cap.+ Gen.)	2294000	1194000	3488000

2. The sanction of the President is also accorded to the release of **Rs. 9,94,000/- (Rupees Nine Lakh Ninety Four Thousand only)** to the "Director/Registrar/Principal/Controller/Comptroller, **PUSHKARAM COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCES**" being the **First** installment of grant as mentioned above table under "**General Component**" for the above mentioned project.

3. The expenditure involved is debitable to **Demand No. 89**, Department of Science & Technology for the year **2023-24**:

3425	Other Scientific Research(Major Head)
3425.60	Others : (Sub-Major Head)
3425.60.789	Special Component Plan for Scheduled Castes
3425.60.789.15	Innovation,Technology Development and Deployment
3425.60.789.15.00	Detailed Head
3425.60.789.15.00.31	Grants-in-aid General
	(Previous: 3425.60.789.01.01.31)

4. The amount of **Rs. 9,94,000/- (Rupees Nine Lakh Ninety Four Thousand only)** will be drawn by DDO, DST and disbursed to the "**CNA account of Autonomous body SERB in respect of Innovation,Technology Development and Deployment Scheme**".

Name of A/C Holder	Innovation Technology Development and Deployment
Bank A/C No	349902010051240
Name of the Bank & branch	Union Bank of India, Safdarjang Enclave - New Delhi
RTGS/IFSC code	UBIN0534994

5. The amount of **Rs. 9,94,000/- (Rupees Nine Lakh Ninety Four Thousand only)** will be drawn by the "**CNA account of Autonomous body SERB and will be disbursed to the Director/Registrar/Principal/Controller/Comptroller, PUSHKARAM COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCES**"

The bank details for electronic transfer of funds through RTGS are given below:-

Name of A/C Holder	Pushkaram College of Agriculture Science
Bank A/C No	388902010025861
Name of the Bank & branch	Union Bank of India
RTGS/IFSC code	UBIN0538892

6. As per Rule 234 of GFR 2017, the sanction has been entered at S. No **10** . in the register of grants maintained in the **National Geospatial Programme** for the scheme **GEOSPATIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT** .

7. This issues with the concurrence of IFD vide their Concurrence Dy. No. **IFD/C/III/190423/31/00093** dated **19/04/2023**.

8. The GI will keep all the funds received in the Central Nodal Account only and shall not transfer the funds to any other account or not divert the same to Fixed Deposits/ Flexi-

Handwritten signature

Account/ Multi-Option Deposit Account/ Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) account etc. The funds released to GI shall not be parked in bank account of any other agency.

9. The GI will ensure the compliance of OM. No. F. No. 1/(18)/PFMS/FCD/2021 dated **March 9, 2022** of Department of Expenditure, Ministry of Finance.

10. The organization is registered on NGO Darpan Portal and their Unique ID is **TN/2019 /0238181**

11. This sanction order is subject to the **Terms & Conditions** as annexed .




Dr. Shubha Pandey
(Scientist - 'E')
shubha.p@nic.in

To,
The Pay & Accounts Officer,
Department of Science & Technology,
New Delhi – 110 016.

डॉ. शुभा पाण्डेय / Dr. Shubha Pandey
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DEPTT. OF SCIENCE & TECHNOLOGY
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

Copy of information and necessary action to:

1. The Principal Director of Audit, Scientific Department, IIIrd floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi.
2. The Financial Advisor, Integrated Finance Division, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, Block C, Qutab Institutional Area, New Delhi, Delhi 110016
3. The Internal Audit Wing, Department of Science & Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, Block C, Qutab Institutional Area, New Delhi, Delhi 110016
4. Drawing and Disbursing Officer, DST, Cash Section. (two copies)
5. Dr. Menaka Chellasamy, Assistant Professor, Department of Crop Management, PUSHKARAM COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCES, Pudukkottai, Pudukkottai, Tamilnadu - 622303
6. The Director/Registrar/Principal/Controller/Comptroller/Chief Executive Officer(CEO), PUSHKARAM COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCES, Pudukkottai, Pudukkottai, Tamilnadu - 622303
7. Secretary, SERB, New Delhi (for allocation of limits to implementing agency)
8. Head (National Geospatial Programme) DST
9. Sanction Folder (National Geospatial Programme)



Dr. Shubha Pandey
(Scientist - 'E')
shubha.p@nic.in

डॉ. शुभा पाण्डेय / Dr. Shubha Pandey
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DEPTT. OF SCIENCE & TECHNOLOGY
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016